न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 77/2026
रानीगंज थाना कांड संख्या– 15/2025

रंजन यादव.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

13-03-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त रंजन यादव की ओर से रानीगंज थाना संख्या– 15/2025, अंतर्गत धारा 309(4) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 24.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सुमन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचक अंकित कुमार के अनुसार यह है कि दिनांक 09.01.2025 को सुबह रानीगंज बांध से कलेक्शन हेतु निकला था। कलेक्शन 64,700 रूपया कर बेलसारा गेट से प्रस्थान कर परसाहाट पानी टंकी के पास करीब 10 मिनट रूककर कस्टमर से पैसा लेकर करीब 07:30 बजे प्रस्थान किया कि 300 गज आगे जाने के पश्चात एक मोटरसाईकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति ओवर टेक कर उसे रोकने का प्रयास किया, तत्पश्चात एक व्यक्ति उसे पकड़ लिया एवं कट्टा दिखाकर पॉकेट में रखा रूपया निकाल लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक का दस आपराधिक इतिहास है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। आवेदक को सह–अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ सरोज कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। आवेदक दिनांक 24.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में संज्ञान के पश्चात आरोप का निर्माण भी किया जा चुका है, साथ ही सूचक ने पहचान परेड में अभियुक्त की पहचान करने में भी असमर्थता जतायी है और आवेदक दिनांक 24.09.2025 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि कम से कम एक जमानतदार आवेदक का पारिवारिक सदस्य होगा। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(मनोज कुमार तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।